राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी -- जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर-- 27 / 2022

1. मिर्चुराम पुत्र स्व. मातादीन
2. जगदीश पुत्र स्व. मातादीन
3. मनोहरलाल पुत्र स्व. मातादीन
4. सुभाष पुत्र स्व. मातादीन
5. अनारली पत्नी स्व. सागरमल नवीरा स्व. मातादीन
6. मैना देवी पत्नी चन्दगीराम नवीरा स्व. मातादीन

समस्त जाति धानका निवासी ग्राम मान्दरी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.......प्रार्थीगण

ब--ना--म

1. मुन्नी देवी पत्नी नत्थूराम जाति जाट निवासी ग्राम मान्दरी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
2. उमराव पुत्र लादु
3. गोपी पुत्र लादु
4. बीरबल पुत्र लादु
5. भाता पुत्र लादु
6. रमेश पुत्र नाथू
7. धर्मपाल पुत्र नाथू
8. सावित्री पत्नी नाथू

   2 लगायत 8 समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम मान्दरी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
9. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा शिमला जरिये शाखा प्रबंधक।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत दिलाये जाने रास्ता

अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ता :-

1. श्री हेमराज सिंह - प्रार्थीगण [illegible]
2. श्री रामसिंह अवाना - अप्रार्थी स[illegible]
3. श्री ग्यारसीलाल गुर्जर - अप्रार्थी स[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 12:02:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

:: निर्णय ::

दिनांक 19–07–2022

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम मान्दरी तहसील खेतड़ी स्थित जमाबन्दी अंतिम चौसाला संवत् 2076 लगायत 2079 के खाता संख्या नया 110 में दर्ज ख.नं. 457 रकबा 0.86 है. भूमि में प्रार्थीगण सं. 1 लगायत 4 का स्व. पिता व प्रार्थीगण सं. 5 लगा. 6 का स्व. ससुर मातादीन पुत्र मंगतु हिस्सा सम्पूर्ण का खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा खातेदार मातादीन पुत्र मंगतु के फौत होने के बाद प्रार्थीगण मौके पर भूमि पर काबिज काश्त है। ग्राम मान्दरी तहसील खेतड़ी स्थित जमाबंदी अंतिम चौसाला संवत् 2076 लगायत 2079 के खाता सं. नया 20 में दर्ज ख.नं. 458 रकबा 0.44 है. की भूमि में हिस्सा सम्पूर्ण की अप्रार्थीया सं. 1 खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है तथा मौके पर भूमि पर काबिज काश्त है। ग्राम मान्दरी स्थित जमाबंदी अंतिम चौसाला संवत् 2076 लगायत 2079 के खाता संख्या नया 30 में दर्ज खसरा नंबर 459 रकबा 0.64 है., ख.नं. 187 रकबा 0.05 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.69 है. भूमि में अप्रार्थी सं. 2 लगा. 5 तथा अप्रार्थी सं. 6 लगा. 7 के स्व. पिता व अप्रार्थीया सं. 8 के स्व. पति नाथू पुत्र लादू संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है तथा खातेदार नाथू पुत्र लादु के फौत होने के बाद वर्तमान में अप्रार्थी सं. 2 लगा. 8 मौके पर काबिज काश्त है। उक्त वर्णित भूमि में खातेदार मातादीन पुत्र मंगतु फौत हो गया है जिसके वारिशान प्रार्थीगण सं. 1 लगा. 6 है तथा खातेदार नाथू पुत्र लादु फौत हो गया है जिसके वारिशान अप्रार्थीगण सं. 2 लगा. 8 है। प्रार्थीगण के खेत ग्राम मान्दरी स्थित खसरा नंबर 457 रकबा 0.86 है भूमि में जाने के लिए मान्दरी से रवां जाने वाले मुख्य कच्चा रास्ता से पूर्वी दिशा में फटकर अप्रार्थीया सं. 1 की कब्जा काश्त शुदा भूमि ख.नं. 458 रकबा 0.44 है की दक्षिणी मेड के सहारे–सहारे 6 फुट व अप्रार्थीगण सं. 2 लगा. 8 की कब्जा काश्त शुदा भूमि ख.नं. 459 रकबा 0.64 है. की उत्तरी मेड के सहारे–सहारे 6 फुट कुल 12 फुट चौडा रास्ता प्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर 457 रकबा 0.86 है. तक जाने के लिए चालू है उसी रास्ते से होकर प्रार्थीगण अपने खेत में आते जाते हैं और इधर से ही प्रार्थीगण अपने खेत में साधन लाते व ले जाते हैं, इसके अलावा प्रार्थीगण के पास अपने खेत खसरा नंबर 457 रकबा 0.86 है. में साधन लाने ले जाने व आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण का यह रास्ता कदीम से आवागमन के रास्ते [illegible] व साधन लाने ले जाने के काम में आता रहा है। उक्त रास्ता ही प्रार्थीगण की [illegible] कृषि भूमि खसरा नंबर 457 रकबा 0.86 है. तक पहुंचने के लिए मौजूद है जो [illegible]से छोटा व मान्दरी से रवां

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 12:02:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

जाने वाले मुख्य कच्चा रास्ता से सबसे कम दूरी का है। इसके अलावा प्रार्थीगण के पास अपने खेत में आने जाने व साधन लाने ले जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के अनुसार प्रतिकर देने के लिए या भूमि के बदले भूमि देने का निवेदन किया तो भी उक्त अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 8 इंकार हो गये। जबकि उक्त रास्ता प्रार्थीगण के कदीम से ही विद्यमान रहा है और यहीं से ही उपयुक्त रास्ता संभव है जो सबसे छोटा व मान्दरी से रवां जाने वाले मुख्य कच्चा रास्ता से सबसे कम दूरी का है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है और प्रार्थीगण इस प्रार्थना पत्र के जरिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 215(क) की पालना करने के लिए तैयार व तत्पर हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के खेत ग्राम मान्दरी स्थित खसरा नंबर 457 रकबा 0.86 हे. भूमि में जाने के लिए मान्दरी से रवां जाने वाले मुख्य कच्चा रास्ता से पूर्वी दिशा में फटकर अप्रार्थीया सं. 1 की कब्जा काश्त शुदा भूमि खसरा नंबर 458 रकबा 0.44 हे. की दक्षिणी मेड के सहारे–सहारे 6 फुट व अप्रार्थीगण सं. 2 लगा. 8 की कब्जा काश्त शुदा भूमि खसरा नंबर 459 रकबा 0.64 हे. की उत्तरी मेड के सहारे–सहारे 6 फुट कुल 12 फुट चौड़ा कटानी रास्ता दिलाया जाकर उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर नक्शा तरमीम किया जावे तथा उक्त रास्ते के लिए धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राशि निर्धारित कर उसके खातेदारों को दिलाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलबी जारी की गई। अप्रार्थीया स. 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष को अस्वीकार कर कथन किया है कि मातादीन पुत्र मंगतु फौत होने व प्रार्थी सं. 1 लगा. 6 उसके विधिक वारिशान होने का कथन जानकारी के अभाव में अस्वीकार है प्रार्थीगण को अपने हकपूर्वाधिकारी के फौत होने पर अपने नाम नामांतरकरण दर्ज करवाने के पश्चात ही उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया जाना चाहिए था। खातेदार नाथू ना पुत्र लादू का फौत होना स्वीकार है लेकिन उसके वारिशान अप्रार्थी सं. 2 लगा. 8 ना [illegible] 2 लगा. 5 स्व. लादू के वारिशान है। होकर अप्रार्थी सं. 6 लगा. 8 की है। [illegible] मान्दरी से रवां जाने वाले कच्चे प्रार्थीगण का अपने खेत खसरा नंबर 45[illegible] भूमि ख.न. 458 रकबा 0.44 है. रास्ते से पूर्वी दिशा में अप्रार्थी सं. 1 [illegible] रास्ता कभी नहीं रहा तथा प्राथीगण का अप्रार्थी सं. की दक्षिणी मेड के सहारे--सहारे 6 फुट रास्ता कभी नहीं रहा तथा प्राथीगण का अप्रार्थी सं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 12:02:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

1 के उक्त खेत से आना जाना भी कभी नहीं रहा व ना ही कभी इधर से कोई साधन, वाहन, फसल का परिवहन आदि किया गया प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में झूठे व मनगढ़ंत तथ्य दर्ज किये है जो चलने योग्य नहीं है अप्रार्थी सं. 1 ने करीब 10 वर्षों पूर्व ही अपने खेत ख.नं. 458 में पुख्ता तारबन्दी कर दी थी जो आज मौके पर मौजूद है। प्रार्थीगण ने गलत नजरी नक्शा बनाकर पेश किया है प्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर 457 में अप्रार्थी सं. 1 के खेत खसरा नंबर 458 से आवागमन कभी नहीं रहा। प्रार्थीगण को अपने खेत में आवागमन खसरा नंबर 459 में से है जो श्रीमान तहसीलदार, खेतड़ी के द्वारा न्यायालय हाजा में पेश की गयी जांच रिपोर्ट से भी बखुबी साबित है जो सबसे कम दूरी का रास्ता है प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 1 को हैरान व परेशान करने बाबत बेवजह पक्षकार बनाया है। अप्रार्थी सं. 1 के खेत से प्रार्थीगण के खेत की दूरी भी ज्यादा है जो धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों से परे है इसलिए प्रार्थी सं. 1 की हद तक उक्त प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

अप्रार्थी सं. 2 लगा. 8 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थीगण के खेत ग्राम मान्दरी स्थित खसरा नंबर 457 रकबा 0.86 है. भूमि में जाने के लिए मान्दरी से रवां जाने वाले मुख्य कच्चा रास्ता पूर्वी दिशा में फटकर अप्रार्थी सं. 1 की कब्जा काश्त शुदा भूमि ख.नं. 458 रकबा 0.44 है. की दक्षिणी मेड के सहारे–सहारे 6 फुट व अप्रार्थी सं. 2 लगा. 8 की कब्जा काश्त भूमि ख.नं. 459 रकबा 0.64 है. भूमि की उत्तरी मेड के सहारे सहारे 6 फुट कुल 12 फुट चौड़ा रास्ता कभी भी नहीं रहा है तथा ना ही प्रार्थीगण अपने खेत में कभी इधर से आते जाते है व ना ही कोई साधन लाते हैं। बल्कि प्रार्थीगण हमेशा अपने खेत ख.नं. 457 में मान्दरी से रवां जाने वाले मुख्य कच्चा रास्ता पूर्वी दिशा में फटकर राजकीय भूमि ख.नं 433 में से आकर ख.नं. 434 की दक्षिणी मियाल के सहारे–सहारे आते जाते रहे हैं तथा प्रार्थीगण के खेत में आने जाने पर सबसे लघुतम रास्ता है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 2 लगा. 8 की भूमि में से गलत रूप से रास्ता बताया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी सं. 9 व 10 बावजूद सम्यक् तामील के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार, खेतड़ी से विवादित भूमि क[illegible] मौका व राजस्व रिकार्ड की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार, खेतड़ी [illegible] /2022/1826 दिनांक 08.03.2022 से बिन्दुवार रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत की है कि :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 12:02:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता है। आस पास के खेतो में तार बाड़ लगाने से आने जाने में परेशानी है। यह रास्ता केवल जोत के सुविधाजनक उपयोग के लिए है।
2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होता है।
3. प्रार्थीगण द्वारा ख.नं. 458 व 459 की सीमा के सहारे–सहारे ख.नं. 457 (ग्राम मान्दरी तहसील खेतड़ी) में जाने बाबत प्रार्थना पेश किया है जिसकी दूरी 84 मीटर है। जिसका क्षेत्रफल (2x84)+(2x84)=336 वर्गमीटर है। ख.नं. 459 की दक्षिण सीमा के सहारे–सहारे की दूरी 76 मीटर जो सबसे कम है जिसका क्षेत्रफल 76x4त्र 304 वर्गमीटर है जिसकी डी.एल.सी. दर रू. 38295 है जिसकी दुगुनी राशि रू.76590/– बनते हैं।

प्रार्थीगण की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल नक्शा ट्रेस ग्राम मान्दरी, नकल जमाबन्दी संवत् 2076–2079 खाता सं. 110, खाता सं. 20, खाता सं. 30 ग्राम मान्दरी, फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र मातादीन पुत्र मंगतूराम, प्रस्तावित रास्ते का नजरी नक्शा पेश किये।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं रिपोर्ट तहसीलदार, खेतडी व भू–अभिलेख निरीक्षक वृत मान्दरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। तहसीलदार, खेतड़ी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 08.03.2022 के संलग्न नजरी नक्शा भू–अभिलेख निरीक्षक वृत मान्दरी में स्पष्ट किया है कि प्रार्थीगण को प्रस्तावित रास्ते की आवश्यकता अत्यांतिक है। प्रस्तावित रास्ते (नजरी नक्शा में दर्शित) के अतिरिक्त अन्य कोई निकटतम दूरी का रास्ता पहुंच के लिए उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण को खसरा नंबर 457 में पहुचने हेतु खसरा नंबर 459 में से प्रस्तावित (नजरी नक्शे में लाल स्याही से) मार्ग निकटतम होगा। प्रस्तावित रास्तें में आनी वाली भूमि का क्षेत्रफल 4 मीटर चौडाई, 76 मीटर लम्बाई में 304 वर्गमीटर (0.03 है0) बनता है। प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी भूमि ख.नं. 457 में आने–जाने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के प्रावधानों की पूर्ति करता है। अत [illegible] का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधि[illegible] स्वीकार [illegible] योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 12:02:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

आदेश

अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, खेतड़ी के प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम मान्दरी तहसील खेतडी स्थित भूमि खसरा नंबर 457 रकबा 0.86 है. में जाने के लिए अप्रार्थीगण सं. 2 लगायत 8 की खातेदारी भूमि ख.नं. 459 रकबा 0.64 है. की दक्षिणी मेड के सहारे–सहारे होते हुए 4 मीटर चौड़ाई, 76 मीटर लम्बाई में पुख्ता आम रास्ता ग्राम मान्दरी व रवां को जाने वाले कच्चे रास्ते से ख.नं. 457 तक नजरी नक्शा (प्रदर्श–अ) में लाल स्याही से अंकितानुसार कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। चूंकि प्रकरण में पक्षकारान के मध्य रास्ते में आने वाली भूमि के बदले भूमि देने पर सहमति हुई है, इसलिए भूमि ख.नं. 459 में से 304 वर्गमीटर (0.03 है.) जो रास्ते में निर्वापित हुई है उसके बदले में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 457 की पश्चिम दिशा जो भूमि ख.नं. 459 के पूर्वी दिशा के सहारे लगती हुई है में 304 वर्गमीटर भूमि (0.03 है.) प्रार्थीगण के ख.नं. 457 में से कम की जाकर अप्रार्थीगण सं. 2 लगा. 8 की खातेदारी में दिये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार भूमि खसरा नंबर 459 के रकबे में से रास्ते की बाबत 304 वर्गमीटर (0.03 है.) भूमि निर्वापित कर राजस्व रिकार्ड में किस्म "गैर मुमकीन रास्ता" के रूप में राजकीय खाते में अभिलिखित करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 19–07–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 12:02:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner